Human Trafficking

*** 348 SH. ISHWAR SINGH , M.L.A. :** Will the Home Minister be pleased to State:-

(a) Whether it is a fact that the cases of Human trafficking and the sale purchase of human organs has been increased in State; if so, the year-wise details of the cases registered in State from the year 2012 till date together with the steps taken by the Government for prevention of human trafficking in State; and

(b) the total number of minor girls and boys victimized in human trafficking in above mentioned cases together with the detail thereof?

Home Minister, Haryana

Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement of Sh. Anil Vij, Home Minister, in reply to Haryana Vidhan Sabha Starred Question No. 348

Sir,

No case regarding sale purchase of human organs has been registered in the State. The number of cases registered regarding human trafficking has registered a decrease to 17 in 2019 as compared to 24 cases registered in 2018. The table below shows that between 2015 and 2016, these cases had come down from 23 to 15 but then increased to 24 in 2018 before coming down again in 2019. Year-wise detail of the cases registered regarding human trafficking and data related to minor girls and boys victimized in these cases from the year 2012 to 12.02.2020 is as under:-

Details of human Trafficking Cases

Years	Number of Cases registered regarding human trafficking	Total Number of minor girls and boys victimized in human trafficking	Detail of victim minors	
			Girls	Boys
2012	2	0	0	0
2013	13	5	5	0
2014	13	8	7	1
2015	23	8	6	2
2016	15	4	4	0
2017	20	9	8	1
2018	24	19	10	9
2019	17	6	3	3
2020 (upto 12.2.2020)	1	0	0	0
TOTAL	**128**	**59**	**43**	**16**

The steps taken by the Government for prevention of human trafficking in the State include the following:-

1. **Anti-Human Trafficking Units (AHTUs):-** Seven Anti Human Trafficking Units (AHTUs) have been created in the State of Haryana. These Units are part of State Crime Branch, Haryana and are located at Panchkula, Gurugram, Faridabad,

Madhuban (Karnal), Hisar, Bhiwani and Rohtak. The objectives of AHTUs are (i) prevention of human trafficking (ii) rescue missing children (iii) rescue of beggar children (iv) rescue of children from labor (v) action against illegal placement agencies & (vi) rescue girls from prostitution. Also, cases of missing children are being investigated by these units. Good work done in AHTUs is rewarded from time to time to motivate officials.

2. **Child Welfare Police Officer:-** In pursuance of Section 107 of the Juvenile Justice Act, Child Welfare Police Officers have been appointed in every police station of the State.

3. **Special Juvenile Police Unit:-** In compliance of the provisions of Sub Section (2) of Section 107 of the Juvenile Justice Act, Special Juvenile Police Unit has been constituted in every district of the State of Haryana. These units are being supervised by Deputy Superintendent of Police/Assistant Commissioner of Police.

4. **Track the Missing Child Portal:-** The National Informatics Centre (NIC) has developed a national portal namely "Track the Missing Child" in which not only data of 'Missing Children' but also of 'Traced Child/Found Child' is being maintained properly. The Police Department is also using this portal and all entries regarding missing and found children are being made. This portal is very helpful for tracking the missing children.

5. **Khoya-Paya Portal:-** This portal is an initiative to provide a platform to the public to share the details of missing/found children at large.

6. **Standard Operating Procedure:-** The Standard Operating Procedure (SOP) has been circulated to all the concerned in order to assist the Police, Child Welfare Committee and Juvenile Justice Board in dealing with the cases of missing and found/recovered children. The objective of the SOP is to put in place a set of guidelines while dealing with cases of missing children and to work in coordination with stakeholders and respond with urgency with respect to issues of missing children. The SOP has been forwarded to all the police units for strict compliance.

7. **Display Board:-** Directions have been issued to all the Commissioners of Police and District Superintendents of Police in the State to put up display boards at a prominent place in every Police Station containing the names, designations and contact numbers of the Child Welfare Police Officers and in-charge of the District Special Juvenile Police Unit.

8. **Special Operations to rescue the missing children:-** Special Operations/campaigns to rescue missing children are being launched in the State from time to time. Eight such operations have been launched in the State from the year 2015 to 2019. Besides, a month long operation is also going on from 01.02.2020 and 625 missing children have been rescued as on 15.02.2020 during this campaign.

****

Note for the pad

1. A proposal to increase the AHTUs from 07 to 13 is under consideration of the Govt.

2. Details regarding cases of Human Trafficking registered in the State for the period from 2012 to 2020 (upto 12.02.2020) is as under:-

	Cases registered	**Under Investigation**	**Cancelled**	**Untraced**	**Put in Court**	**Convicted**	**Acquitted**	**Under trial**	**No. of persons arrested**
Human Trafficking	128	4	25	5	94	14	45	35	334

मानव तस्करी

*** 348 श्री ईश्वर सिंह, विधायकः** क्या माननीय गृहमन्त्री बताने का कष्ट करेंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि मानव तस्करी और मानव अंगों की खरीद बिक्री के मामले राज्य में बढ़े हैं, यदि ऐसा है तो राज्य में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के साथ वर्ष 2012 से अब तक के अंकित अभियोगों का वर्षवार विवरण, और

(ख) उपरोक्त मामलों में मानव तस्करी में पीड़ित नाबालिक लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या विस्तार से बतायें ?

गृहमन्त्री हरियाणा

महोदय, सदन के पटल पर वक्त्तव्य रखा गया है।

श्री अनिल विज, गृहमन्त्री का हरियाणा विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 348 का उत्तर

महोद्य,

राज्य में मानव अंगों की तस्करी के सम्बन्ध में कोई अभियोग अंकित नहीं हुआ है। मानव तस्करी के सम्बन्ध में वर्ष 2018 में अंकित 24 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2019 में यह संख्या घटकर 17 रह गई है। नीचे दी गई तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2015 से 2016 के बीच यह अभियोग 23 से घटकर 15 हो गये थे, लेकिन वर्ष 2019 में यह अभियोग कम होने से पहले वर्ष 2018 में बढ़कर 24 हो गये थे। मानव तस्करी और नाबालिग लड़कियों और लड़कों से सम्बन्धित अंकित अभियोगों का वर्ष 2012 से 12.02.2020 तक विवरण निम्न अनुसार हैः–

मानव तस्करी के मामलों का विवरण

वर्ष	मानव तस्करी के दर्ज मामलों की संख्या	मानव तस्करी से पीड़ित नाबालिग लड़कों व लड़कियों की कुल संख्या	पीड़ित नाबालिगों का विवरण	
			लड़कियां	लड़के
2012	2	0	0	0
2013	13	5	5	0
2014	13	8	7	1
2015	23	8	6	2
2016	15	4	4	0
2017	20	9	8	1
2018	24	19	10	9
2019	17	6	3	3
2020 (12.2.2020 तक)	1	0	0	0
कुल योग	128	59	43	16

राज्य में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल हैः

1. **मानव तस्करी निरोधक इकाइयांः–** हरियाणा राज्य में सात मानव तस्करी निरोधक ईकाईया बनाई गई है। ये इकाइयां राज्य अपराध शाखा हरियाणा का हिस्सा हैं, जो पंचकूला, गुरूग्राम, फरीदाबाद, मधुबन (करनाल), हिसार, भिवानी और रोहतक में स्थित हैं। मानव तस्करी निरोधक इकाइयों का उद्देश्य है, (i) मानव तस्करी की रोकथाम (ii)

गुमशुदा बच्चों का बचाव (iii) भिखारी बच्चों का बचाव (iv) बच्चों का बाल मजदूरी से बचाव (v) अवैध प्लेसमेंट ऐजैन्सियों के खिलाफ कार्यवाही (vi) लड़कियों का वैश्यावृति से बचाव। इसके अतिरिक्त बच्चों की गुमशुदगी के सम्बन्ध में अंकित अभियोंगो का अनुसंधान भी इन इकाइयों द्वारा किया जाता है। मानव तस्करी निरोधक इकाइयों के कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को समय–समय पर पुरस्कृत किया जाता है।

2. **बाल कल्याण पुलिस अधिकारीः–** किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 107 की अनुपालना में राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये है।
3. **विषेष किषोर पुलिस ईकाईः–** किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) की अनुपालना में राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का गठन किया गया है, इन इकाइयों की देखरेख उप पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त पद के अधिकारियों द्वारा की जाती है।

4. **ट्रैक द मिसिंग चाईल्ड पोर्टलः–**नैशनल इन्फर्मेटिक्स सैंटर (एन0आई0सी0) ने ट्रैक दा मिसिंग चाईल्ड नाम से एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया है, जिसमें न केवल लापता बच्चों का विवरण बल्कि बचाये गये/ बरामद किये गये बच्चों का विवरण भी दर्ज किया जा रहा है। पुलिस विभाग भी इस पोर्टल का उपयोग कर रहा है तथा इसमें सभी लापता तथा बरामद बच्चों का विवरण दर्ज किया जा रहा है। यह पोर्टल लापता बच्चों को तलाश करने में बहुत उपयोगी है।

5. **खोया पाया पोर्टलः–** यह पोर्टल बडे पैमाने पर लापता/पाये गये बच्चों का विवरण साझा करने हेतू जनता को एक मंच प्रदान करने के लिए एक पहल है।

6. **मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0):**– लापता और पाये/बरामद बच्चों के मामलों से निपटने में पुलिस बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता के लिए सभी सम्बन्धितों को मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) प्रेषित की गई है। एस0ओ0पी0 का उद्देश्य लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए सभी हितधारकों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए तुरन्त कार्यवाही हेतू दिशानिर्देश देना है। एस0ओ0पी0 को सख्त अनुपालना हेतू सभी पुलिस ईकाईयों को भेजा गया है।

7. **प्रदर्षन पटलः–** राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन पटल लगाये जाएं, जिसमें पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों व जिला की विशेष पुलिस इकाइयों के प्रभारियों के नाम, पद और सम्पर्क नम्बर अंकित हों।

8. **लापता बच्चों को बचाने के लिए विषेष अभियानः–** लापता बच्चों को बचाने के लिए राज्य में समय समय पर विशेष अभियान चलाऐ जाते है। राज्य में वर्ष 2015 से 2019 तक 8 ऐसे अभियान चलाऐ गये है। इसके अतिरिक्त राज्य में एक माह की अवधि का विशेष अभियान दिनांक 01.02.2020 से चल रहा है। इस अभियान के दौरान दिनांक 15.02.2020 तक 625 लापता बच्चों को बचाया गया है।

****

पैड के लिए नोट

1. मानव तस्करी निरोधक इकाइयों की संख्या 7 से बढ़ाकर 13 करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

2. राज्य में पंजीकृत मानव तस्करी अभियोगों का वर्ष 2012 से 12.02.2020 तक विवरण निम्न अनुसार हैः–

	अंकित अभियोग	अनुसन्धानाधीन	अखराज	निरसन	न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग	सजा	बरी	विचाराधीन न्यायालय	गिरफ्तार किये गये आरोपियों की संख्या
मानव तस्करी	128	4	25	5	94	14	45	35	334